



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27114

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 1944/2026

राजीव कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता : अरुण कुमार भट्ट

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है :- "1. परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें संबंधित प्रत्यर्थी को याची की शिकायत दिनांक 18.10.2025 (इस रिट याचिका का संलग्नक संख्या-5) पर कार्रवाई करने और भू-माफिया (प्रत्यर्थी संख्या 6 से 8) द्वारा उत्पन्न अवैध बाधा/नुइसेंस को हटाने और ग्राम गरारा, पोस्ट कोसमा हिनूद, तहसील घिरोर, जिला मैनपुरी के गाटा संख्या 5828 रकबा 0.040 हेक्टेयर के 0.0057 क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग के लिए सार्वजनिक सड़क खोलने का निर्देश दिया जाए।"
2. मामले के अभिलेख का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि याची निजी व्यक्तियों, अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 6 से 8 के विरुद्ध राहत चाहता है, जिसे रिट क्षेत्राधिकार के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में कानून सुस्थापित है कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध मण्डमस जारी नहीं किया जा सकता है और उचित उपचार सामान्य कानून के तहत निहित है।
3. मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान याचिका को सामान्य कानून उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है, यदि वैसी सलाह दी जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 6, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"